भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4391

28 मार्च, 2023 को उत्तर के लिए नियत

'परिवर्तनकारी गतिशीलता और बैटरी भडारण संबंधी राष्ट्रीय मिशन''

4391. श्री जगन्नाथ सरकार:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने परिवर्तनकारी गतिशीलता और बैटरी भंडारण संबंधी राष्ट्रीय मिशन की स्थापना के बाद से चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) के तहत देश में बड़े पैमाने पर, निर्यात-प्रतिस्पर्धी एकीकृत बैटरी और सेल-विनिर्माण गीगा संयंत्रों की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) मूल्य श्रृंखला में उत्पादन के स्थानीयकरण के लिए कोई ठोस प्रयास किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष के दौरान ईवी बैटरी निर्माण संयंत्र स्थापित करने और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए एक प्रतिस्पर्धी घरेलू विनिर्माण ईकोसिस्टम विकसित करने के लिए राज्यों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री कृष्ण पाल गुर्जर)

(क) से (ग) : देश में चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) के अंतर्गत बड़े पैमाने की, निर्यात-प्रतिस्पर्धी एकीकृत बैटरी और सेल विनिर्माणकारी गीगा संयंत्रों की स्थापना का सरकार का कोई विचार नहीं है। साथ ही, देश में इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण और बैटरी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए भारी उद्योग मंत्रालय निम्नांकित दो उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है ताकि इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण कंपनियों सहित ऑटोमोबिल और ऑटो संघटक कंपनियों को सहायता प्रदान की जा सकेः-

i) : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 वर्ष की अवधि में 18,100 करोड़ रूपए के परिव्यय से कुल 50 गीगावाट घंटे की विनिर्माण क्षमता के साथ भारत में उन्नत रसायन सेल (एसीसी), बैटरी भंडारण हेतु विनिर्माण सुविधाओं की स्थापना के प्रयोजन से उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम को 12 मई,2021 को अनुमोदित किया।

ii) : सरकार ने भारत में ऑटोमोबिल और ऑटो संघटक उद्योग के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम को 5 वर्ष की अवधि हेतु 25,938 करोड़ रूपए के बजट परिव्यय के साथ अनुमोदित किया है ताकि उन्नत ऑटोमोटिव उत्पादों के लिए भारत की विनिर्माण क्षमताओं में वृद्धि हो।

(घ) और (ङ) : जी नहीं। भारी उद्योग मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने तथा इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक प्रतिस्पर्धी घरेलू विनिर्माण पारितंत्र विकसित करने के प्रयोजन से राज्यों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की है। साथ ही, पीएलआई एसीसी स्कीम के अंतर्गत तीन इकाइयों- राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (5 गीगावाट घंटा), ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड (20 गीगावाट घंटा) और रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड (5 गीगावाट घंटा) को एसीसी क्षमताएँ प्रदान की गई हैं।

***